निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 708) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2024

सं० प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2019–**02**
ऊर्जा विभाग

संकल्प
24 जुलाई 2024

विषयः– राज्य सरकार के कार्यालयों (20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले) में स्मार्ट प्री–पेड मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–606 दिनांक–01.03.2019 द्वारा राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के वर्तमान मीटर को स्मार्ट प्री–पेड मीटर से बदलने एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आई०पी०डी०एस०) के कार्यान्वयन के लिए चयनित केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. राज्य के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने का कार्य इनर्जी एफिशियेन्सी सर्विसेज लि0 द्वारा ओपेक्स मॉडल में किया जा रहा है परन्तु, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) की समाप्ति के उपरांत इसे पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर0डी0एस0एस0) के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

3. पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3556 दिनांक–17.10.2022 द्वारा राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने हेतु केन्द्रीय उपक्रमों यथा–पावर फाईनेंस कॉरपोशन लि0, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि0 तथा इनर्जी एफिशियेन्सी सर्विसेज लि0 के साथ–साथ बिहार के दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा ओपेक्स अथवा हाईब्रीड मॉडल (कैपेक्स+ओपेक्स) के तहत कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. उक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यालयों (20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले) में भी उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट प्री–पेड मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। राज्य सरकार के कार्यालयों में स्मार्ट प्री–पेड मीटर के अधिष्ठापन से आम उपभोक्ताओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा वे भी स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने को उत्सुक होंगे तथा ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के लिए वर्ष 2025–26 तक 18.16% के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

5. उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधित विनियम, 2022 के विनियम 3(ख) में प्रावधान किया गया है कि संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप, पूर्व–भुगतान मोड में काम कर रहे स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जानी है।

6. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर0डी0एस0एस0) वर्ष 2022 से लागू है। यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं बिहार सरकार द्वारा अंगीकृत एक परिणाम आधारित योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का वित्तीय वर्ष के बकाये विद्युत विपत्र की राशि का 100% भुगतान किया जाना एवं विभिन्न विभागों के कार्यालयों में 100% स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगवाने का प्रावधान है।

7. स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली लाभ निम्न प्रकार हैः–

(i) **मूर्त लागत लाभ (Tangible Cost Benefits)—** ससमय भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार 1.5% प्रतिमाह डी0पी0एस0 के रूप में चार्ज होता है। स्मार्ट प्री–पेड मीटर अधिष्ठापन से उक्त राशि की बचत की जा सकती है।

(ii) **परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में सुधार (Improving Operational Efficiency & Transparency)—**राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उपभोक्ताओं का दैनिक/मासिक ऊर्जा उपभोग के पैटर्न एवं शेष राशि की निगरानी की जा सकती है। साथ ही वित्त विभाग को विभागवार सही ऊर्जा उपभोग के अनुरूप बजट प्रावधान करने में सुविधा होगी।

(iii) **स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय सुरक्षा (Health and Environmental Protection)—** स्मार्ट प्री–पेड मीटर के अधिष्ठापन से ऊर्जा अपव्यय एवं कार्बन फुट प्रिन्ट में कमी होगी जो राज्य सरकार के 'जल–जीवन–हरियाली मिशन' के लक्ष्यों के अनुरूप है।

8. इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों (20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले) में भी स्मार्ट प्री–पेड मीटर अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण हेतु संबंधित विभागों के बीच दिनांक–17.11.2022 और दिनांक–23.11.2023 को हुई बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति बनीः–

(i) (क) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, जिनका स्वीकृत भार 20 किलोवाट या उससे कम है, का पिछले एक वर्ष के वास्तविक अभिनिर्धारण के आधार पर वितरण कम्पनियों द्वारा औसत तीन महीने का अभिनिर्धारण करते हुए अग्रिम विपत्र के साथ संबंधित विभाग के उपभोक्ता को संसूचित किया जायेगा, जिसके आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय में अधिष्ठापित स्मार्ट प्री–पेड मीटर को तीन महीने के लिए रिचार्ज किया जा सकेगा।

(ii) (ख) नये विद्युत संबंध, जिनका औसत अभिनिर्धारण किये जाने में कठिनाई है, को नियमानुसार उनके स्वीकृत भार एवं उपभोग की अवधि के आधार पर तीन महीने के अभिनिर्धारण को आंकलित कर दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा संबंधित विभाग को तीन महीने का औसत अभिनिर्धारण संसूचित किया जायेगा एवं तद्नुसार अग्रिम भुगतान/रिचार्ज की प्रक्रिया संबंधित विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) स्मार्ट प्री–पेड मीटर अधिष्ठापन की तिथि तक के बकाये को वितरण कम्पनियों द्वारा संबंधित विभागीय मुख्यालय को उपभोक्तावार समेकित विवरणी उपलब्ध करायी जायेगी। तदनुरूप संबंधित विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। भुगतान होने की तिथि तक इन उपभोक्ताओं को Privileged ग्रुप में रखा जायेगा ताकि विद्युत संबंध बाधित ना हो।

9. अतएव राज्य सरकार के कार्यालयों (20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले) में स्मार्ट प्री–पेड मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 708-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in